फर्द अहकाम

नियम – 26

अज अदालत :– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, केकड़ी
प्र.सू.रि.सं. 267 / 25 थाना भिनाय
मुकदमा संख्या 2 / 2026
सी.आई.एस. सं. 2 / 2026
फोरंता देवी बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2026	परिवादीया व उसके अधिवक्ता अनुपस्थित। समय 4:30 पी.एम हो रहा है। बार–बार आवाजे लगावाई गईं, परंतु परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना भिनाय की ओर से न्यायालय द्वारा जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ था, जिसके अवलोकन से जाहिर होता है कि नोटिस की तामील परिवादीया के भाई रामधन माली को करवायी जा चुकी है, जिस पर उसके हस्ताक्षर भी होना दर्शित होता है। उक्त रामधन ने यह भी जाहिर किया कि राजीनामा होने के कारण उसकी बहिन उसके ससुराल उनियारा खुर्द में ही निवास कर रही है। इस प्रकार यह जाहिर होता है कि परिवादी एफ.आर. चलाने में इच्छूक नहीं है। इस स्तर पर न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ. आर. का अवलोकन किया गया, जो अदम वकु गलतफहमी के आधार पर पेश की गई है। बाद अवलोकन, न्यायालय पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. से संतुष्ट है। फलस्वरूप, प्रस्तुत एफ.आर. स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। केस डायरी लौटाई जावे।	